पजीकृत

प्रेषक,

संयुक्त शिक्षा निदेशक,
षष्ठ मण्डल, लखनऊ / सदस्य सचिव

सेवा में,

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद
शिक्षा केन्द्र 2 समुदाय केन्द्र
प्रीति विहार, नई दिल्ली।

पत्र संख्या–नि0–2 / एन0ओ0सी0 / 19312-16 /2023–24 दिनांक 16 मार्च, 2024

विषय– IRIS CROWN SCHOOL, AMRPALI YOJNA, BHARAWANKALA, DUBAGGA, LUCKNOW को सेण्ट्रल बोर्ड आफ सेकेण्ड्री एजूकेशन (सी0बी0एस0ई0) नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए सूचित करना है कि शासनादेश संख्या 2144 / 15–7–2020–1(34) / 2020 दिनांक 07.01.2021 द्वारा सी0बी0एस0ई0 / आई0सी0एस0सी0ई0 से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रदान किये जाने की सम्पूर्ण प्रक्रिया को ऑनलाइन किये जाने सम्बन्धी दिये गये निर्देशों के अनुपालन में IRIS CROWN SCHOOL, AMRPALI YOJNA, BHARAWANKALA, DUBAGGA, LUCKNOW द्वारा किये गये ऑनलाइन आवेदन तथा शासनादेश संख्या–1916 / 15 – 7 – 09 – 1 (299) / 2007 दिनांक 14 जुलाई 2009 द्वारा माध्यमिक शिक्षण संस्थाओं को कौसिल फॉर दि इण्डियन स्कूल सर्टिफिकेट एक्जामिनेशन, (आई0सी0एस0ई0) नई दिल्ली / सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेण्डरी एजूकेशन, (सी0बी0एस0ई0) नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में आयुक्त लखनऊ मण्डल लखनऊ की अध्यक्षता में दिनाक 12.03.2024 को आयोजित बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार IRIS CROWN SCHOOL, AMRPALI YOJNA, BHARAWANKALA, DUBAGGA, LUCKNOW को सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेण्डरी एजूकेशन, (सी0बी0एस0ई0) नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निम्न प्रतिबन्धों के अधीन निर्गत करने में आपत्ति नही हैः–

1. विद्यालय की पजीकृत समिति का समय–समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।
2. विद्यालय की प्रबन्ध समिति मे सयुक्त शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।
3. विद्यालय मे कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के मेधावी बच्चो के लिए सुरक्षित रहेगे और उनमे उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद / बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा सचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओ के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नही लिया जायेगा।
4. सस्था द्वारा राज्य सरकार से कोई अनुदान की मॉग नही की जायेगी।
5. सस्था के शिक्षक तथा शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओ के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानो तथा अन्य भत्तो से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नही दिये जायगे।
6. कर्मचारियो की सेवा–विनियमावली बनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियो को अनुमन्य सेवा निवृत्ति का लाभ उपलब्ध कराया जायेगा।
7. शासन / विभाग / प्रशासन द्वारा समय- समय पर जो भी आदेश / निर्देश निर्गत किये जायेगे, सस्था उनका पालन करेगी।

–2

Manager
Iris Crown School
Lucknow

Principal
IRIS CROWN SCHOOL
Amrapali Yojna, Luckno

8 विद्यालय के अभिलेख निर्धारित प्रपत्र पजिकाओ मे रखे जायेगे।

9 जनहित याचिका सख्या-483/2004 अवनीश मेहरोत्रा बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य मे पारित मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनाक 13.04.2009 के अनुपालन मे विद्यालय द्वारा कौसिल फार दि इण्डियन स्कूल सर्टिफिकेट एक्जामिनेशन (आई0सी0एस0ई0) नई दिल्ली/सेण्ट्रल बोर्ड आफ सेकेण्ड्री एजूकेशन (सी0बी0एस0ई0) नई दिल्ली से सम्बद्धता प्राप्त होने के पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि विद्यालय का भवन नेशनल बिल्डिग कोड मे प्राविधानित सुरक्षा मानको के अनुरूप है एव उसमे अग्निशमन यन्त्र स्थापित हो चुका है तथा स्टाफ अग्निशमन उपायो हेतु भलीभाँति प्रशिक्षित है।

10 विद्यालय मे कार्यरत शिक्षको को हटाये जाने/पदमुक्त करने की सूचना जिला विद्यालय निरीक्षक को दी जायेगी तथा उनके स्थान पर उसी शैक्षिक/प्रशिक्षण योग्यता के व्यक्ति को ही नियुक्ति प्रदान की जायेगी।

11 उपर्युक्त शर्तो मे राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/सशोधन/परिवर्धन नही किया जायेगा।

उपर्युक्त प्रतिबन्धो का पालन करना सस्था के लिए अनिवार्य होगा। यदि किसी समय यह पाया जाता है कि सस्था द्वारा उपर्युक्त प्रतिबन्धो का पालन नही किया जा रहा है अथवा पालन करने मे किसी प्रकार की चूक या शिथिलता बरती जाती है तो प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा। भविष्य मे यदि प्रबन्धतत्र द्वारा प्रस्तुत किसी तथ्य/अभिलेख/प्रस्ताव मे किसी प्रकार की विसगति पायी जाती है तो यह अनापत्ति स्वत शून्य समझी जायेगी।

भवदीय

डॉ0 (प्रदीप कुमार)
सयुक्त शिक्षा निदेशक,
षष्ठ मण्डल, लखनऊ/सदस्य सचिव

पृ0स0-नि0-2/एन0ओ0सी0/ 19312-18 /2023-24 दिनाक उक्तवत्

प्रतिलिपि-निम्नाकित को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
2. जिलाधिकारी, लखनऊ।
3. शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4. जिला विद्यालय निरीक्षक, लखनऊ।
5. निरीक्षक, आग्ल भारतीय विद्यालय, उ0प्र0, लखनऊ।
6. प्रबन्धक, IRIS CROWN SCHOOL, AMRPALI YOJNA, BHARAWANKALA, DUBAGGA, LUCKNOW
7. गार्ड फाइल।

डॉ0 (प्रदीप कुमार)
सयुक्त शिक्षा निदेशक,
षष्ठ मण्डल, लखनऊ/सदस्य सचिव

Manager
Iris Crown School
Lucknow

Principal
IRIS CROWN SCHOO
Amrapali Yojna, Luckn